


भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA



फैक्स Fax : 0172-2604671  
दूरभाष Telephone : कार्यालय Office: 2600031  
Email : [phc.gdc soi@gov.in](mailto:phc.gdc soi@gov.in)



पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी०डी०सी०  
सर्वे कॉम्प्लेक्स, दक्षिण मार्ग, सैक्टर 32-ए,  
चण्डीगढ़-160 030

PUNJAB, HARYANA & CHANDIGARH G.D.C.,  
SURVEY COMPLEX, DAKSHIN MARG,  
SECTOR 32-A, CHANDIGARH-160030.


सं० लेखा-4612 /18-ए-5 (पेंशन रूल्स)

दिनांक : 05-08-2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पेंशन अदालत आयोजित करने के संबंध में ।

भारत के महासर्वेक्षक के दिनांक 19-07-2019 के पत्रांक ब0-4301/1117-पेंशन नियम के अन्तर्गत प्राप्त सचिव, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पी0एण्ड पी0डब्ल्यू विभाग) के अर्ध-शासकीय पत्र सं० 1/12/2019-पी0एण्ड पी0डब्ल्यू0 (जी) दिनांक 28-06-2019 के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के चण्डीगढ़ स्थित सभी कार्यालयों (उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, पं०, हरि० एवं चण्डीगढ़ जी०डी०सी० एवं हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी०) के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं के समाधान हेतु संयुक्त रूप से पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना है जोकि दिनांक 23-08-2019 को प्रातः 10:30 बजे से 13:00 बजे तक कार्यालय परिसर (मनोरंजन कक्ष 02) में होगी।

  
(प्रशान्त कुमार)

निदेशक

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी०डी०सी०

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून (ध्यानाकर्षण :- स्थापना एवं लेखा अधिकारी-बजट) को सूचनार्थ । कृपया उक्त अदालत की बैठक में भाग लेने हेतु महासर्वेक्षक कार्यालय से एक अधिकारी को भेजने का अनुरोध किया जाता है ।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अदालत की बैठक में भाग लेने हेतु आप स्वयं या अपना प्रतिनिधि भेजने के संबंध में शीघ्र पुष्टि करने की कृपा करें ।
4. निदेशक, हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. प्रभारी विभागीय वेबसाइट, देहरादून को ई-मेल द्वारा इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसे "विभागीय वेबसाइट" में प्रकाशित करने की कृपा करें ।
6. स्थापना एवं लेखा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इंडिया (Central Pension Processing Branch), सैक्टर 5, पंचकूला(हरियाणा) को इस अनुरोध के साथ कि वह उक्त अदालत में शामिल होने हेतु अपनी ब्रांच से एक अधिकारी को नामित कर इस कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें।
8. समस्त यूनिथन/एसोसियेशन के ब्रांच सेक्रेटरी, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ । उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर भी पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों को विषयक अदालत के आयोजन के संबंध में अवगत करा सकते हैं ।
9. नोटिस बोर्ड पर ।